न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 589/2022 निर्णय दिनांक :–29.09.2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. लादूलाल पुत्र हरनाथ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सीमादेवी पुत्री राककुंवार जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक (राज.) –अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री सत्यनारायण धाकड़ **तहसीलदार देवली**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 राज० लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 1350 खसरा नम्बर 4230 रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। प्रार्थीगण ने पूर्व मे उक्त भूमि की नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। आराजी भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उकत आराजी की पत्थरगढी किये जाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:— हां, उक्त आराजी आवेदक की खातेदार दर्ज है व कब्जेकाश्त है। हां, आवेदक पडोसी खातेदारो सीमा विवाद है। हां, जिन पक्षकारों से सीमा विवाद है। नहीं, आवेदक का जिन खातेदारो से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिकमीत राजकीय भूमि नहीं है। पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी/प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर, जमाबन्दी सम्वत <u>2073–76</u> में अंकित खाता संख्या 1350 खसरा नम्बर 4230 रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 की पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने की स्थिति में आराजीयात का सीमाज्ञान कर प्रार्थी/प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी भूमि की सीमाओ से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली